	प्रस्ताव आयन्दा दि. 09.11.22 को पेश हो।	
09.11.22 1075 16/11/22	पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार रेलमगरा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त। वादी अधिवक्ता को सुना गया। वादी अधिवक्ता ने बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पेश बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार पत्रावली स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। फैसला अलग से लिखा जाकर तहसीलदार रेलमगरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर जिल्द नम्बर से दर्ज की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	बटवारा प्रस्ताव स्वीकार PC वादी

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेलमगरा